रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2005/फाल्गुन 25, 1926

No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2005/PHALGUNA 25, 1926

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

सा.का.नि. 173(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2005 है।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (क) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के, नियम 31 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

 "(1) अधिकरण, आवेदक और प्रत्यर्थी की सुनवाई करने के पश्चात् या तो तुरंत या उसके पश्चात् जहां तक हो सके, यथासाध्य शीघ्र लेकिन बहस समाप्त हो जाने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आदेश पारित करेगा; और जहां वह ऐसा करने में असमर्थ है, अपनी असमर्थता के कारण अभिलिखित करेगा।"

 (ख) नियम 32 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

 "(2) जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा।"

[फा. सं. 89/टीसी(आरसीटी)/1-6 पार्ट/राज्य सभा]

बद्री लाल मीना, कार्यपालक निदेशक/जनशिकायत, रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पणी :—मूल नियम सा.का.नि. 842(अ) तारीख 19 सितंबर, 1989 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 700(अ) तारीख 26-11-1991, सा.का.नि. 438(अ) तारीख 21-4-1992, सा.का.नि. 509(अ) तारीख 15-6-1994, सा.का.नि. 270(अ) तारीख 4-7-1996, सा.का.नि. 59(अ) तारीख 4-2-1997, सा.का.नि. 719(अ) तारीख 15-10-1999, सा.का.नि. 167(अ) तारीख 29-2-2000, सा.का.नि. 513(अ) तारीख 9-7-2001, सा.का.नि. 787(अ) तारीख 2-12-2002 और सा.का.नि. 384 तारीख 22 अक्तूबर, 2003 के अंतर्गत संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2005

G.S.R. 173(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2005.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989,—

 (a) for sub-rule (1) of rule 31, the following shall be substituted, namely :—

 "(1) The Tribunal, after hearing the applicant and respondent, shall pass an order either at once, or as soon as thereafter, as may be practicable, but not later than twenty-one days from the date of conclusion of the arguments; and where it is unable so to do, it shall record its reasons for such inability."

 (b) for sub-rule (2) of rule 32, the following shall be substituted, namely :—

 "(2) Where it appears to the Tribunal that there is no sufficient ground for a review, it shall reject the application and record its reasons for so doing."

[F. No. 89/TC(RCT)/1-6 Pt./Rajya Sabha]

BADRI LAL MEENA, Executive Director/Public Grievances, Railway Board

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 842(E), dated the 19th September, 1989 and subsequently, amended *vide* Number G.S.R. 700(E), dated the 26th November, 1991, G.S.R. 438(E), dated the 21st April, 1992, G.S.R. 509 (E), dated the 15th June, 1994, G.S.R. 270(E), dated the 4th July, 1996, G.S.R. 59(E), dated the 4th February, 1997, G.S.R. 719(E), dated the 15th October, 1999, G.S.R. 167(E), dated the 29th February, 2000, G.S.R. 513(E), dated the 9th July, 2001, G.S.R. 787 (E), dated the 2nd December, 2002 and G.S.R. 384, dated the 22nd October, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.